झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–186/09–10/(खण्ड–III)................................../राँची, दिनांकः...........

प्रेषकः

ई॰ सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि॰)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार।

विषयः लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन विभिन्न प्रखंडो में झालको द्वारा, शत्–प्रतिशत् राज्यांश से 200 अदद 12 फीट व्यास एवं 30 फीट गहरे सिंचाई कूप निर्माण हेतु कुल लागत राशि रू0 360.00 लाख(रू0 तीन करोड़ साठ लाख) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1 लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन विभिन्न प्रखडों में झालको द्वारा, शत्–प्रतिशत् राज्यांश से 200 अदद 12 फीट व्यास एवं 30 फीट गहरे सिंचाई कूप निर्माण हेतु कुल लागत राशि रू0 360.00 लाख (रू0 तीन करोड़ साठ लाख) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति का प्रदान की जाती है।

2 कूप निर्माण का प्रस्ताव मानक प्राक्कलन, राशि रू0 1.80 लाख रूपये पर आधारित है, जिसमें कूप का व्यास 12 फीट एवं गहराई 30 फीट प्रस्तावित है। कूप के तलहटी में R.C.C वेलकर्ब के निर्माण के उपरांत 10 फीट तक Dry Masonary तथा शेष 20 फीट में CM (1:6) में बोल्डर जोड़ाई, भू–तल से 2 फीट ऊँचाई तक Parapet निर्माण करने एवं ऊपरी सतह पर 3'' पी॰सी॰सी॰ का प्रावधान रखा गया है। कूप में 20 मि॰मी॰ व्यास के छड़ के स्टेपस का प्रावधान है। प्रस्तावित योजना से कुल 800 हे॰ सिंचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मानक प्राक्कलित राशि के आधार पर इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रू॰ 45000/– प्रति हेक्टयर आकलित है। प्रखंडवार कूपो की संख्या परिशिष्ट–I पर संलग्न है।

3 कूप योजना के कार्यान्वयन् हेतु निम्नांकित प्रक्रियात्मक सूत्र का पालन किया जायगा–

(i) कूप निर्माण योजना में लाभार्थियों का चयन–

- लाभार्थियों के चयन में गरीबी रेखा के नीचे/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- लाभार्थियों में जिनके जमीन पर कूप निर्माण किया जाना है, कम से कम 1 (एक) एकड़ जमीन का स्वामित्व तथा अन्य लाभुकों को इसके उपयोग करने देने के लिए सहमति–पत्र देना अनिवार्य होगा।
- लाभुक का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा।
- प्रत्येक कूप के निर्माण स्थल की जाँच क्षेत्रीय प्रबधक झालको द्वारा की जाएगी एंव स्थल चयन में प्रत्येक कूप से प्रस्तावित 4.00 हे0 सिंचन क्षमता सुनिश्चित की जाएगी।
- कूप निर्माण के पूर्व एवं उपरांत स्टिल फोटोग्राफी की जाएगी, जिसपर कूप के Location का Lat Long अंकित रहेगा।

(ii) योजना का कार्यान्वयन्–

- योजना निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व लाभुक समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं रहने पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा।
- ग्राम सभा से योजना के कार्यान्वयन के उपरान्त योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का प्रमाण पत्र क्षेत्रीय प्रबंधक, झालको द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

- सभी कूप निर्माण योजना का निर्धारित गुणवता के साथ पूर्ण कर दिये जाने का प्रमाण पत्र झालको द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. इस कार्य पर होने वाला व्यय की राशि रू0 360.00 लाख (रू0 तीन करोड़ साठ लाख) ''बजट शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष 101–सतही जल उप शीर्ष–19–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–मुख्य निर्माण कार्य'' में प्राप्त बजट उपबंध के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. इन योजनाओं को वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2015–16 में निश्चित रूप से पूरा किया जायगा।

6. प्रस्तावित कार्य को डिपोजिट वर्क (Deposit Work) के रूप में कराया जायगा।

7. प्रबंध निदेशक, झालको इस कार्य हेतु आवंटित राशि को पी॰एल॰ खाता में जमा करेंगे।

8. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्रण पदाधिकारी प्रबंध निदेशक, झालको होंगे।

9. राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

10. इसके कार्यान्वयन् में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. इस कार्य हेतु राशि की निकासी राँची कोषागार से की जायगी।

12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

14. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

15. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0:– यथोक्त्।

ह0/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांक: 3/पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–186/09–10/(खण्ड–III)................................./राँची, दिनांक:...........
प्रतिलिपि: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0:– यथोक्त्।

ह0/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांक: 3/पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–186/09–10/(खण्ड–III)................................./राँची, दिनांक:...........
प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0:– यथोक्त्।

ह0/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–186/09–10/(खण्ड–III)................................../राँची, दिनांकः...........
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/प्रबंध निदेशक, झालको, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
अनु0:– यथोक्त्।

ह0/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–186/09–10/(खण्ड–III)................................../राँची, दिनांकः...........
प्रतिलिपिः आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनु0:– यथोक्त्।

ह0/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–186/09–10/(खण्ड–III)................................../राँची, दिनांकः...........
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु0:– यथोक्त्।

ह0/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–186/09–10/(खण्ड–III) 48/14-15 प्र.स्वी./**राँची, दिनांकः** 20/X/14
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर न्चसवंक करने हेतु प्रेषित।
अनु0:– यथोक्त्।

सु.कु. सिन्हा 20/10/14
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)
20/10

झालको द्वारा कोडरमा जिलान्तर्गत कूप निर्माण हेतु प्रस्ताव

क्रम	प्रखंड	कूप की संख्या
1	*2*	*3*
1	कोडरमा	50
2	डोमचाँच	50
3	मरकच्चो	50
4	जयनगर	15
5	चन्दवारा	10
6	सतगाँवा	25
	योग	**200**

20/10/14

संयुक्त सचिव (अभि॰)
जल संसाधन विभाग